PAPER - I

PART - I Pol. Sc (H)



Q:-

कानून के उद्‌गम या स्रोत :

कानून के स्रोत से तात्पर्य उन साधनों से है जो प्रत्यक्ष रूप से कानून के निर्माण मे सहायता देते है। आधुनिक राज्यों में सामान्यतः विधानमण्डल द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, किन्तु विधानमण्डल के अतिरिक्त भी कानून के अनेक स्रोत है, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है.

(i) रीति-रिवाज या परम्पराएं → रीति रिवाज कानून का प्राचीन तम तथा एक महत्वपूर्ण स्रोत है! रिति-रिवाजो का निर्माण नही होता, वरन धीरे धीरे उनका चले आरहे है। इन रीति रिवाजो के पीछे सामाजिक संगठन का नियन्त्रण तथा समाज का नैतिक बल रहता है। जब ये समाज मे अधिक मान्य तथा प्रचलित हो जाते है। तब राज्य उन्हे कानून का रूप देता है। इस प्रकार समाज के प्रचलित रीति रिवाज कानून का रूप धारण कर लेते है और उन्हे प्रथागत कानून कहा जाने लगता है। भारत मे स्मृतियां तथा इंगलैण्ड मे कामन लॉ इसी स्रोत की देन है। ~~क्षेत्र~~ मे ~~श्रेणल्य~~ ~~श्रेकुस्त~~ एक राज्य की वैधानिक व्यवस्था मे रीति रिवाजो का महत्व स्पष्ट करते हुए मैकाइवर ने लिखा है कि कानून के विशाल ग्रन्थ मे राज्य केवल कुछ ही नये वाक्य लिखता है और कही कही एक आधा पुराना वाक्य काट देता है। इस ग्रन्थ के अधिकांश भागो की रचना मे राज्य का कभी कोई हाथ नही रहा है, परन्तु राज्य स्वयं इस

सम्पूर्ण ग्रन्थ से मर्यादित होता है.

2) धर्म (Religion) → कानून के विकास में परम्परा की भांति धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। धर्म परम्परागत कानून को धार्मिक विश्वास की मान्यता देकर उसे सबल बनाता है और इस दृष्टि से ये दोनों घनिष्ट रूप में सम्बन्धित हैं. इतना ही नहीं, धर्म ने प्रत्यक्ष रूप से भी कानून को जन्म दिया है. प्राचीनकाल में ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता और कानून का उद्गम माना जाता था. इस प्रकार धर्माधिकारियों तथा धर्म शास्त्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कानूनों का स्वरूप दैवी होता था। प्राचीन समाज में धर्म तथा कानून इतने घुले-मिले थे कि जीवन के सभी नियमों के पीछे धार्मिक मान्यता का बल पाया जाता है. विल्सन ने ठीक ही कहा है कि रोम का प्रारंभिक कानून शास्त्रागत धार्मिक नियमों के एक संग्रह अथवा कतिपय धार्मिक सिद्धान्तों के उचित पालन द्वारा अधिकार प्राप्त करने के साधनों की उचित एक व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। आज भी हिन्दुओं का कानून की व्यवस्था के आधार पर और इस्लामी कानून शरियत के आधार पर टिका हुआ है.

न्यायिक निर्णय (Judicial Decisions) → जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्था जटिल होने लगी, वैसे-वैसे विभिन्न रीति रिवाज के सम्पर्क उत्पन्न होने लगे और इस सम्पर्क

कारण रीति-रिवाजों की वैधता पे संदेह किया जाने लगा। इसी स्थिति में कभी-कभी ऐसे विवाद भी खड़े हो जाते थे जिनका रिवाजों के पास कोई समाधान नहीं था। अतः ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए समाज के उन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सलाह ली जाती थी, जिनका निर्णय सबको स्वीकार हो। ऐसे व्यक्तियों के निर्णयों ने कानूनी दृष्टान्तों का रूप धारण कर लिया। बाद में उत्पन्न विवाद सुलझाने के लिए पूर्व दृष्टान्तों का अनुकरण किया जाने लगा और इस प्रकार न्यायिक निर्णय कानून के स्रोत बन गये।

आज भी न्यायिक निर्णय कानून के विकास में पर्याप्त सहायक होते हैं। न्यायाधीश विधि की व्याख्या करते समय जाने-अनजाने में नये कानून के निर्माण का कार्य करते हैं। संयुक्त अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपनी व्याख्या की शक्ति द्वारा संविधान में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया। न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार भी है।

//

(4) कानूनी टीकाएं :- प्रत्येक देश में कानून के प्रसिद्ध ज्ञाता (Commentaries) कठिन कानूनों के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कानून की व्याख्या करते हुए ग्रन्थ-रचना करते हैं, जिन्हें कानूनी टीकाएं कहा जाता है। न्यायालयों और विधि विशारदों की ये टीकाएं भी कानून का एक

महत्वपूर्ण स्रोत होती है।
कानून के आधारभूत अमूर्त सिद्धान्तों की विवेचना करते हुए उनके यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश डालते है तथा न्याय और कल्याण की दृष्टि से संशोधनों के सुझाव प्रस्तुत करते है न्यायालय के न्यायधीशों इन टीकाओं को मान्यता देते है तथा अपने निर्णयों मे इनका आदर के साथ उल्लेख करते है। इस प्रकार कानून की ये शास्त्रीय टीकाएं कानून के विकास मे सहायक होती है। इंग्लैण्ड मे सर एडवर्ड कोक ब्लैकस्टोन और डायसी आदि महान टीकाकरो की व्याख्या ने कानून को बहुत कुछ संशोधन किया है इसी प्रकार हिन्दुओ मे मिताक्षरा अथवा दायभाग और मुसलमानों मे फतवा आलमगीरी भी कुछ इस प्रभाव के उल्लेखनीय उदाहरण है।

(5) साम्य नीति या औचित्य Equity औचित्य भी एक अन्य स्रोत है जिससे कानून का उद्भव हुआ है। न्यायाधीशो के समक्ष कभी कभी ऐसे विवाद उपस्थित हो जाते है जिनके सम्बन्ध मे कानून कोई प्रकाश नही डालता। ऐसी स्थिति मे न्यायाधीश विवेक, न्यायशास्त्र के अनुभव और न्याय की साधारण मान्यताओं के आधार पर निर्णय देते है और ये निर्णय ही औचित्यपूर्ण निर्णय कहलाते है। इसी सम्बन्ध मे न्यायधीशो के निर्णय और औचित्यपूर्ण निर्णय मे भेद कर लेना आवश्यक है।

न्यायाधीशों के निर्णय का तात्पर्य उन निर्णयों से होता है, जिन्हें न्यायाधीश वर्तमान कानूनों की व्याख्या करते समय अथवा उन पर व्यवस्था करते समय घोषित करते हैं, किन्तु औचित्यपूर्ण निर्णय न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर उस समय देते हैं, जब किसी विवाद का निर्णय वर्तमान कानून के अनुसार उस कानून में पायी जाने वाली किसी कमी के कारण नहीं होता सकता। इस प्रकार औचित्यपूर्ण नियमों के द्वारा कानून का विकास होता है तथा साथ साथ अनुपयुक्त कानूनों में सुधार और परिवर्तन भी होता है। प्रत्येक देश में औचित्यपूर्ण निर्णयों से उद्भूत कानूनों का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इंगलैण्ड में तो संविधान और कानून के विकास में औचित्य पूर्ण निर्णयों का बहुत अधिक योग रहा है। औचित्य के अनेक नियम हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, ऐसी कोई त्रुटि नहीं होगी जिसका उपचार न हो, जो औचित्य चाहता है उसके द्वारा स्वयं औचित्य पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। औचित्य समानता में ही निहित है आदि।

(6) <u>व्यवस्थापन</u> Legislation :— व्यवस्थापन कानून का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीनकाल में व्यवस्थापन का कार्य राजा अथवा उसके कुछ गिने चुने लोगों

द्वारा होता था और एक समय सम्पूर्ण जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापन भी किया जाता था, किन्तु आज लगभग सभी राज्यों में व्यवस्थापन का कार्य व्यवस्थापिका (विधानमण्डल या संसद) द्वारा किया जाता है। व्यवहार रूप में प्रत्येक देश में प्रायः सभी कानून विधान मण्डल द्वारा बनाये जाते हैं और व्यवस्थापन कानून के प्रायः एकमात्र स्रोत का रूप धारण करता जा रहा है। गिलक्राइस्ट ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि व्यवस्थापन कानून का प्रमुख स्रोत है और यह अन्य स्रोतों पर प्रमुखता प्राप्त करता जा रहा है प्रथाओं और औचित्य का स्थान बहुत कुछ सीमा तक विधायी कानूनों ने ले लिया है। कानून के संहितावद्ध होने से कानूनों के स्रोत के रूप में न्यायिक निर्णयों का प्रभाव बहुत सीमित हो गया है और कानूनी टीकाओं का उपयोग तो केवल विचार-विमर्श के लिए ही किया जाता है।

कानून के स्रोतों की इस विवेचना के उपरान्त हम दूसरी विलसन को उद्धृत करते हुए कह सकते हैं कि रीति रिवाज विधि का सर्वप्रथम स्रोत है। पर धर्म भी उसी का समकालीन उतना ही सबल और राष्ट्र के विकास के आरम्भ जैसा ही स्रोत है। न्यायिक निर्णय अधिकारी बनकर आया और औचित्य के साथ कदम मिलाकर चला। केवल व्यवस्थापना

जो कानून का विचारपूर्ण और चेतन संगठन है और वैज्ञानिक व्याख्या, जो कानून के नियमों का विकास है, राजनीतिक समाज के उत्तम पद पर पहुंचने की प्रतीक्षा में है, ताकि वह विधि निर्माण के प्रबल प्रभाव डाल सके। कानून के प्रारम्भिक स्रोतों का महत्व यद्यपि आज कम हो गया है, किन्तु आज भी व्यवस्थापन की उन्नति पर अंकुश रखने का कार्य करते हैं।

The End.

Scanned with CamScanner